न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अल

उनवान नगड बनाम बेरसा व अन्य 3/20 मुकदमा नं. 10/4/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज
13/6/19	वकील प्रार्थी उपस्थित / अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 बावजूद तामील अनुपस्थित / उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बाद बहस प्रार्थी वकील द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रकरण नगड बनाम बेरसा व अन्य की स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है तथा प्रार्थी दिनांक को नारायणपुर कैम्प दि. 25/6/2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाकर था। प्रार्थी वकील उस दिन अन्य कार्य में व्यस्त थे। इसलिए उक्त वाद प्रार्थी व वकील प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उक्त प्रकरण को प्रार्थी द्वारा पुनः नम्बर पर लेने बाबत स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी वकील की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रा. पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लेने बाबत स्वीकार करना न्यायोचित है अतः प्रा. पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लेने बाबत स्वीकार किया जाता है। बाद पुनः दर्ज रजि. हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।